शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 1/जी0आई0480/52-1-2013/1(19)/09

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषय -वित्तीय वर्ष 2011-12 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में स्वीकृत आई0टी0आई0 में सिविल वर्क, उपकरण, मशीनरी व अन्य हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनपद में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन में सिविल वर्क कार्य के लिए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करने एवं अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(20)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 30.03.2012 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(20)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 27.11.2013 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड- डुमरियागंज में स्वीकृत आई0टी0आई0 के निर्माण, सिविल वर्क, मशीनरी व अन्य मद में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 185.42 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्रापत रू0 92,71,000/-(रू0 बान्नबे लाख इक्हत्तर हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2013-14 में आई0टी0आई0 भवन के लिए प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध रू0 1924.42 लाख में से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिद्धार्थ नगर	आई0टी0आई0 के निर्माण में		150.53	150.53	0.00	0.00	75.265	0.00	75.265

http://Shasanadesh.up.nic.in

		सिविल वर्क								
2	,,	उपकरण एवं मशीनरी		33.09	33.09	0.00	0.00	16.545	0.00	16.545
3	,,	अन्य		1.80	1.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
		योग=			**185.42**	**0.00**	**0.00**	**92.71**	**0.00**	**92.71**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय की जायेगी। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- प्रश्नगत आई0टी0आई0 में उपकरण, मशीनरी, एवं अन्य की धनराशि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा उनके द्वारा वर्तमान क्रय नीति के अनुसार उपकरण/मशीनरी आदि का क्रय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कलयाण, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित धनराशि से 03 माह में पूरा किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्क कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था एवं उसके अधिकारियों के साथ ही अन्य सम्बन्धित कार्मिक उत्तरदायी होंगे।

6- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

7- यथावश्यक उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण उपकरण आदि की आपूर्ति की जायेगी। सामग्री-क्रय के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मशीनरी, उपकरण आदि की आपूर्ति व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा विभाग में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा क्रय कर प्रयुक्त की गयी मशीनरी व उपकरण के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र सहित उक्त अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा एक पृथक खाता खोला जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे नियमानुसार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वसूल की जायेगी।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड भी तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत/पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

12- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0 100/रा0 0-के0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1573/दस-2013, दिनांक 18-12-2013 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या जी0आई0480(1)/बावन-1-2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद सिद्धार्थनगर में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन में सिविल वर्क, उपकरण, मशीनरी व अन्य का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित

http://Shasanadesh.up.nic.in

करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

7- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत मशीनरी, उपकरण आदि की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in